न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 10/2020 (Bank Case)

"एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेंन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान मे स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री ब्रजमोहन कारपेन्टर (ऋणी/बन्धकर्ता)
   पता– 1. बॉरी का चौकी, चेचट, कोटा राजस्थान–326518
   2. सम्पत्ति रामगंजमण्डी, चेचट जिला कोटा राजस्थान
2. श्रीमती ममता राजोरा पत्नी श्री दिनेश कुमार (सहऋणी)
   पता– बॉरी का चौकी, चेचट, कोटा राजस्थान–326518

– अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 21.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि "एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेंन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान मे स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.08.2018 को रूपये 5,00,000/–(अक्षरेः रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति दिनेश कुमार पुत्र श्री ब्रजमोहन कारपेन्टर, सम्पत्ति रामगंजमण्डी, चेचट जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1653 स्क्वायर फुट हैं तथा चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में रास्ता गली और चौक, पश्चिम में रामेश्वर जी का मकान, उत्तर में अशोक जैन जी की फैक्ट्री, दक्षिण में कॉमन रोड हैं, जिसका रजिस्टर्ड पट्टा ग्राम पंचायत चेचट द्वारा पट्टा संख्या 02 ख0नं0 826 दिनांक 19.4.2010 को जारी किया गया,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 13.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 5,23,535/– (अक्षरे रूपये पांच लाख तैईस हजार पांच सौ पैंतीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं **"दी इण्डियन एक्सप्रेस"** में दिनांक 19.10.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 24.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं **"दी इण्डियन एक्सप्रेस"** में दिनांक 19.10.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 24.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं **"दी इण्डियन एक्सप्रेस"** में दिनांक 19.10.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति दिनेश कुमार पुत्र श्री ब्रजमोहन कारपेन्टर, सम्पत्ति रामगंजमण्डी, चेचट जिला कोटा राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 1653 स्क्वायर फुट हैं तथा चतुर्थ सीमाऐं– पूर्व में रास्ता गली और चौक, पश्चिम में रामेश्वर जी का मकान, उत्तर में अशोक जैन जी की फैक्ट्री, दक्षिण में कॉमन रोड हैं, जिसका रजिस्टर्ड पट्टा ग्राम पंचायत चेचट द्वारा पट्टा संख्या 02 ख0नं0 826 दिनांक 19.4.2010 को जारी किया गया,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner